संख्या-192/2018/3010/26-3-2018-4(215)/90 टी.सी.।।।

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2- निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक-10 सितम्बर 2018

विषय: पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) योजनान्तर्गत छात्रों के आनलाइन आवेदन एवं अन्य समस्त कार्यवाही पूर्ण करने हेतु पूर्व निर्गत समय-सारिणी 2018-19 को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1968/ स0क0/ शिक्षा-अ/3/95/2018-19, दिनांक-28.08.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक विचारोपरांत पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) योजनान्तर्गत छात्रों के आनलाइन आवेदन एवं अन्य समस्त कार्यवाही पूर्ण करने हेतु पूर्व निर्गत समय-सारिणी 2018-19 को संशोधित किये जाने हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है:-

क्र0सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही की पूर्व समयावधि कक्षा 9-10 हेतु	कार्यवाही की प्रस्तावित समयावधि कक्षा 9-10 हेतु
1	छात्र/छात्राओं द्वारा आॅनलाईन आवेदन किया जाना।	01 जुलाई से 31 अगस्त 2018 तक	01 जुलाई से 30 सितम्बर 2018 तक
2	छात्र द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्टआउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्टआउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
3	छात्र/छात्राओं द्वारा आॅनलाईन आवेदन पत्र की हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 06 दिन के अन्दर, विलम्बतम 06 सितम्बर 2018 तक।	आवेदन पत्र भरने के 06 दिन के अन्दर, विलम्बतम 06 अक्टूबर 2018 तक।
4	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	02 जुलाई से तक 12 सितम्बर 2018 तक।	02 जुलाई से तक 12 अक्टूबर 2018 तक।
5	छात्र द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण संस्था द्वारा आनलाइन छात्र के सम्मुख अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना।	13 सितम्बर से 15 अक्टूबर 2018 तक	13 अक्टूबर 2018 से 10 नवम्बर
6	सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 9-10 हेतु) द्वारा वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को आॅनलाईन सत्यापित करना।	02 जुलाई से 20 सितम्बर 2018 तक	02 जुलाई से 20 अक्टूबर 2018 तक
7	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना, आवेदन पत्र में अंकित आधार नम्बर का मिलान किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	13 सितम्बर से 10 अक्टूबर 2018 तक	13 अक्टूबर से 10 नवम्बर 2018 तक
8	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध	30 अक्टूबर 2018 तक	30 नवम्बर 2018 तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

	डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं छात्रों को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा एवं स्वीकृत डाटा लाक किया जाना।		
9	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना।	11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2018 तक	11 नवम्बर से 20 नवम्बर2018 तक
10	छात्र/छात्राओं द्वारा आॅनलाईन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर, विलम्बतम 23 अक्टूबर 2018 तक।	आवेदन पत्र भरने के 02 दिन के अन्दर, विलम्बतम 22 नवम्बर 2018 तक।
11	त्रुटियों को ठीक करके छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्रों का शिक्षण संस्थान द्वारा संलग्न अभिलेखों से मिलान करके आॅनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	12 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2018 तक	12 नवम्बर से 24 नवम्बर 2018 तक
12	छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना एवं आवेदन पत्र में अंकित आधार नम्बर का मिलान किया जाना।	27 अक्टूबर से 10 नवम्बर 2018 तक	25 नवम्बर से 10 दिसम्बर 2018 तक
13	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा एवं स्वीकृत डाटा लाॅक किया जाना।	30 नवम्बर 2018 तक।	30 दिसम्बर 2018 तक।
14	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाॅक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	10 दिसम्बर 2018 तक	10 जनवरी 2019 तक
15	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	15 दिसम्बर 2018 तक	15 जनवरी 2019 तक

2- निदेशक, समाज कल्याण द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में जारी समय-सारिणी के अनुसार छात्रों को आनलाइन आवेदन करने हेतु दिनांक 01 जुलाई 2018 से 31 अगस्त 2018 तक का समय निर्धारित किया गया था। जनपदीय अधिकारियों, संस्थाओं तथा छात्रों द्वारा लगातार यह सूचित किया जा रहा है कि अभी तक सभी छात्र आवेदन नहीं कर पाये हैं।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ द्वारा संचालित छात्रवृत्ति पोर्टल की गति भी धीमी होने के कारण सभी छात्रों द्वारा समयानुसार आवेदन करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन करने की समय-सीमा को बढाया जाना अत्यन्त आवश्यक है जिससे कि सभी पात्र छात्र छात्रवृत्ति हेतु आवेदन कर सकें। आनलाइन आवेदन करने से लेकर अन्य प्रक्रियात्मक कार्यवाहियों हेतु संशोधित समय-सारिणी का प्रस्ताव किया गया है।

3- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2018-19 में पूर्वदशम योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0सं0-192/2018/3010 (1)/26-3-2018 तद्दिनंाकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2-प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/ नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/ व्यवसायिक शिक्षा/ चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।

3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।

6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।

7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।

9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

सतीश कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।